अनवानः– सांवला बनाम पदमा
मुकदमा नम्बरः– 18/2025
निर्णय तारीखः– 19.12.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 18/2025
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2025/122

प्रार्थी

1. सावला पुत्र मोती जाति कलबी, निवासी पमाणा, तहसील– सांचौर, जिला– जालोर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. पदमा पुत्र श्री पीरा जाति कलबी निवासी पमाणा तहसील सांचौर जिला जालोर।
2. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, शाखा– देवड़ा।
3. तहसीलदार (भूमिधारी), सांचौर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कलबी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी।
3. अप्रार्थी संख्या 2, 3 एकपक्षीय।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 19.12.2025

1. अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि मुझ प्रार्थी ग्राम पमाणा का मूल निवासी हूँ। तथा मुझ प्रार्थी की कृषि भूमि मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 898 रकबा 1.95 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि का आया हुआ है। जिस पर मैं काबित काश्त हूँ। उक्त खातेदारी खेत में आवागमन का निकल[illegible] रास्ता मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 897 रकबा 3.43 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शा परिशिष्ट [illegible] रंग से दर्शाया गया है। जो मुझ प्रार्थी को दिया जाना न्यायहित में अति आवश्वयक है। अतः श्रीमानजी से प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार स्वीकार फरमाकर मुझ प्रार्थी के खातेदारी खेत मे आने–जाने हेतु अप्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 897 रकबा 3.43 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि मे से 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

फीट चौड़ा रास्ता सलंग्न नक्शा परिशिष्ठ अ मे लाल रंग से उल्लेखित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड मे रास्ते की भूमि के रूप में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना–दर्ज रजिस्टर किया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री छोगाराम चौधरी द्वारा वकालतनामा पेष किया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बाद तामिल उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. अप्रार्थी 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेष किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि:– प्रार्थी के खातेदारी खेतो में आवागमन हेतु मुझ अप्रार्थी के मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 897 रकबा 3.43 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम भूमि में से 12 फीट चौड़ा नया रास्ता प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ठ अ में लाल रंग से दर्शायेनुसार भूमि को अवाप्त कर प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों में आवागमन करने हेतू रास्ता दिया जाये तो मुझे कोई आप्पति नही है। तथा मुझे उक्त भूमि के एवज मे पैसो की आवश्यकता नही है। अतः जवाबदावा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खेत खसरा संख्या 897 रकबा 3.43 हैक्टेयर भूमि में से 12 फीट चौड़ा रास्ता भूमि अवाप्त कर दिया जाता है तो मुझे कोई आप्पति नही है।

4. बहस उभय पक्ष अधिवक्ता सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यों का उल्लेख करते हुए नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी अपनी बहस में नवीन मार्ग राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात्, नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

5. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :– 251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

गैर मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को [illegible] सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् [illegible]

(प) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के [illegible] सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(पप) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विषिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपभारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

6. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दषा में स्वीकृत किया जावेगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत पहुंचाने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के खातेदार खेत खसरा नम्बर 898 रकबा 1.95 हैक्टर में पहुंचने हेतु कोई रिकॉर्ड मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा अनुसार एव अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रास्ते हेतु दी गई सहमति प्रदान की गई। प्रार्थीगण द्वारा की गई मांग, नजरी नक्शा एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रास्ते हेतु दी गई सहमति व तहसीलदार सांचौर के पत्रांक / भू.अ. / न्या.जांच / 2025 / 4767 दिनांक 13.11.2025 द्वारा प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खसरा नं 898 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 897 में से 75 मीटर लम्बाई व 04 मीटर चौड़ाई अनुसार रास्ता दिया जाना उचित है। अतः प्रार्थी के खसरा नं. 898 में आवागमन हेतु अप्रार्थी के खसरा संख्या 897 रकबा 3.43 हैक्टेयर में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] दिया जाना उचित है। प्रार्थी का वर्तमान रिकॉर्ड अनुसार उक्त रास्ता निकटतम [illegible] के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत हैं कि [illegible] हल्का पमाणा के खसरा नंबर 898 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 897 रकबा 3.43 [illegible]यर में से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर

:— **आदेश** :—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने तथा सारवन होने से स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा अनुसार मौजा पमाणा पटवार हल्का पमाणा के खसरा नंबर 897 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 898 रकबा 3.43 हैक्टेयर में से 75 मीटर लंबाई एवं 4 मीटर चौड़ाई रखते हुये तहसीलदार सांचौर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1955 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं भौतिक रूप से मौके पर सीमांकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावे। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

निर्णय आज दिनांक **19.12.2025** को सर—ए—इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर जिला जालोर सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2026.01.22 11:45:15 IST
Reason: SelfAttested